

**बिहार सरकार**  
**नगर विकास एवं आवास विभाग**  
**अधिसूचना**

17/01/2019

सं०सं०-01/स्था० (विविध)-55/2019 ..... 6603 /न०वि०एवंआ०वि०। जिला पदाधिकारी, बक्सर के पत्रांक-01-2380 दिनांक-28.11.2019 द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में श्री राकेश कुमार, परिक्ष्यमान वरीय उप समाहर्ता, बक्सर को बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-41 के अन्तर्गत अपने कार्यों के अतिरिक्त तात्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बक्सर का प्रभार दिया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।


ह०/-  
(राम सेवक प्रसाद)  
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-01/स्था० (विविध)-55/2019 ..... 6603 /न०वि०आ०वि०, पटना/दिनांक-16/12/19

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, बक्सर/श्री राकेश कुमार, परिक्ष्यमान वरीय उप समाहर्ता, बक्सर/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बक्सर/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/श्री अमितेश कुमार, आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के अवर सचिव।